

उत्तरांचल शासन
कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग
अधिसूचना

08 नवम्बर, 2002 ई०

सं० 1116/कृषि/1(42)/2002—चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूल न तथा उपान्तरण कर सकता है, जो आवश्यक व समीचीन हो;

तथा चूंकि, उत्तर प्रदेश कृषि रोग व कीट अधिनियम, 1954 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल में यथावत लागू है;

आतः ३ ब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों द्वारा प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश कृषि रोग व कीट अधिनियम, 1954 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यीन लागू रहेगा :—

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि रोग व कीट अधिनियम, 1954) अनुकूलन एवं उपान्तरण
आदेश, 2002 कहलायेगा

1—संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ—

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि रोग व कीट अधिनियम, 1954) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 कहलायेग।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2—“उत्तर प्रदेश” के स्थान पर “उत्तरांचल” पढ़ा जाना—

उत्तर प्रदेश कृषि रोग व कीट अधिनियम, 1954 में जहाँ—जहाँ पर शब्द “उत्तर प्रदेश” आया है वहाँ—वहाँ वह शब्द “उत्तर चल” पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,
(बी०पी० पाठ्डेय)
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1416/Agri/1(42)/2002, dated November 08, 2002 for general information :

NOTIFICATION

November 08, 2002

No. 1416/Agri/1(42)/2002--WHEREAS, under section 87 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000, the Government of Jttaranchal may by order, make such adaptation and modification of the law by way of repeal or amendment as may be necessary or expedient;

AND WHEREAS, the Uttar Pradesh Agriculture Diseases and Pests Act, 1954 is in force in the State of Uttarakhand under section 86 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred under section 87 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000 (Act no. 29 of 2000) the Governor is pleased to direct the Uttar Pradesh Agriculture Diseases and Pests Act, 1954, shall have applicability to the State of Uttarakhand subject to the provisions of the following order :—

**UTTARANCHAL (UTTAR PRADESH AGRICULTURE DISEASES AND PESTS
ACT, 1954) ADAPTATION & MODIFICATION ORDER, 2002**

1—Short title and Commencement—

(1) This order may be called Uttarakhand (Uttar Pradesh Agriculture Diseases and Pests Act, 1954), Adaptation & Modification Order 2002.

(2) It shall come into force at once.

2—The word “Uttar Pradesh” to be read “Uttarakhand”—

In Uttar Pradesh Agriculture Diseases and Pests Act, 1954 wherever the expression “Uttar Pradesh” occurs it shall be read as “Uttarakhand”.

By Order,
(B.P. PANDEY)
Secretary.

टिप्पणी—राज्यपत्र, दिनांक 07-12-2002, भाग—1 में प्रकाशित।
(प्रतिलिपि सूचनारूप ऐविट+)

पी०पी०य० (आर०ई०) 22 कृषि/755-17-01-2003-1,000 (कम्प्यूटर/रीजिस्ट्रेशन)।